E-OFFICE NO ....
DATE..................

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(41)ग्रावि/ग्रुप–5/जीकेएन/क्यूसी/ 2015–16 जयपुर, दिनांक 11 दिसम्बर, 2015

जिला कलेक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषय :– ग्रामीण विकास के निर्माण कार्यो की गुणवत्ता जॉच व आवासों के भौतिक सत्याप्न हेतु विभाग द्वारा पंजीकृत अभियन्ता/स्वयं सेवी संस्था/सरकारी, गैर सरकारी तकनीकी संस्थानों की सेवाएं लिए जाने बाबत।

प्रसंग :– विभागीय समसंख्यक पत्र दिनांक 05.11.2015 के कम में।

महोदय,

प्रांसगिक पत्र द्वारा ग्रामीण विकास एंव पंचायती राज विभाग द्वारा कियान्वित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सम्पादित/निर्माणाधीन कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उदेश्य से मूल्यांकन/निगरानी कराये जाने हेतु 28 व्यक्तियों/संस्थाओं को तृतीय पक्ष के रूप में सेवाए लिये जाने के आदेश जारी किये गये।

श्री श्याम सुन्दर पालीवाल, पूर्व सरपंच अध्यक्ष जल ग्रहण समिति को जल ग्रहण विकास विभाग द्वारा कराये जा रहे कार्यो की गुणवत्ता जॉच/भौतिक सत्यापन के लिए चयन कर कम संख्या 29 पर तृतीय पक्ष के रूप में पंजीकृत किया जाता हैं। कार्य आवंटन, भुगतान आदि अन्य शर्ते प्रासगिक पत्र दिनांक 05.11. 2015 के अनुसार ही रहेगी।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

(राजीव सिंह ठाकुर)
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचानार्थ प्रेषित हैः–

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रावि एवं पंरावि, राजस्थान जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
4. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एंव पंरावि, राजस्थान जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास विभाग जयपुर।
7. निजी सचिव, आयुंक्त एंव शासन सचिव, पंचायती राज विभाग।
8. निजी सचिव, आयुक्त महात्मा गांधी नरेगा, जयपुर।
9. निजी सचिव, निदेशक, जल ग्रहण विकास एंव भू–संरक्षण विभाग, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचानार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. जिला कलेक्टर, समस्त राजस्थान।
2. समस्त परियोजना निदेशक एंव शासन उप सचिव/वित्तीय सलाहकार/अभियंतागण, ग्रावि एंव पंरावि/ईजीएस जयपुर।
3. समस्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद राजस्थान।
4. अति. जिला कार्यकम समन्वयक, प्रथम/द्वितीय, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
5. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (मो एंव मू) ग्राविवि. को विभागीय वेब साईट पर अपलोड कराने हेतु।
6. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस/अभि.जिला परिषद समस्त राजस्थान।
7. सम्बंधित तृतीय पक्ष श्री श्याम सुन्दर पालीवाल, पूर्व सरपंच अध्यक्ष जल ग्रहण समिति।
8. रक्षित पत्रावली।

11/12
अधीक्षण अभियन्ता (ग्रावि)

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(ग्रामीण विकास, अनुभाग–5)

क्रमांक एफ 27(41)/ग्रावि/ग्रुप–5/जीकेएन/क्यूसी/2015–16 जयपुर, दिनांक 5 नवम्बर,2015

जिला कलक्टर,
समस्त, राजस्थान।

विषय :– ग्रामीण विकास के निर्माण कार्यो की गुणवता जॉच व आवासों के भौतिक सत्यापन हेतु विभाग द्वारा पंजीकृत अभियन्ता/स्वय सेवी संस्था/सरकारी, गैर सरकारी तकनीकी संस्थानों की सेवाएं लिए जाने बाबत्।

प्रसंग :– ग्रामीण विकास विभाग, (अनुभाग–3 नरेगा) के पत्रांक एफ 4(9)आरडी आरई एनएलएम/पार्ट–II 08 दिनांक 05 अप्रैल, 2010.

महोदय,

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा क्रियान्वित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत सम्पादित/निर्माणाधीन कार्यो की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से तृतीय पक्ष द्वारा मूल्यांकन/निगरानी कराये जाने की आवश्यकता है। इस क्रम में व्यक्ति/संस्थाओं से विभाग द्वारा "अभिरूचि की अभिव्यक्ति" आमन्त्रित की गई, जिसमें से पात्र 28 व्यक्ति/संस्थाओं को चयन कर सूचीबद्ध किया गया है (सूची संलग्न)। सूचीबद्ध व्यक्तियों/संस्थाओं के अलावा विभागीय स्तर पर राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय कोटा व निदेशालय तकनीकी शिक्षा, जोधपुर के प्रतिनिधियों से बैठक में चर्चा कर संबद्ध सरकारी व गैर सरकारी अभियान्त्रिकी महाविद्यालयों की सेवा लिए जाने का निर्णय किया गया है।

सूचीबद्ध व्यक्तियों/संस्थाओं जिन्हें आगे तृतीय पक्ष जॉचकर्ता सम्बोधित किया गया है की सेवाऐं, दायित्व व मानदेय प्रासंगिक पत्र दिनांक 05 अप्रैल, 2010 के अनुरूप निम्न शर्तो के अध्याधीन होगी :–

1. मानदेय :–

सूचीबद्ध व्यक्ति/संस्थाओं में से किसी भी व्यक्ति/संस्था से किसी भी जिले में योजना के क्रियान्वयन, मॉनिटरिंग कार्य का निरीक्षण एवं योजना के क्रियान्वयन से जुडी शिकायत की जॉच करवाई जा सकती है। परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि किसी भी व्यक्ति या संस्था से कोई भी कार्य करवाया ही जावें। संस्था/व्यक्ति को उनके निवास स्थान/संस्थान के पते पर या ई–मेल/दूरभाष के माध्यम सूचित किया जावेगा। वित्तीय वर्ष की शुरूआत सभी संस्था/व्यक्ति को अपनी अभिरूचि के जिलों के नामों से अवगत कराना होगा अन्यथा यह मान लिया जावेगा कि संस्था/व्यक्ति राज्य के सभी जिलों में कार्य करने हेतु इच्छुक है।

तृतीय पक्ष जॉचकर्ता उनको सौपे गये कार्य को निर्धारित अवधि में सम्पादित कर आदेश देने वाले कार्यालय/विभाग को व्यक्तिशः अथवा ई–मेल/कोरियर/डाक द्वारा रिपोर्ट प्रस्तुत करेंगे। जिस हेतु उन्हें कोरियर/डाक का वास्तविक व्यय देय होगा। तृतीय पक्ष अपने मुख्यालय से बाहर व्यक्तिशः रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु नहीं जावेंगे, रिपोर्ट pdf format में ई–मेल द्वारा प्रस्तुत कर सकेगें।

तृतीय पक्ष जॉचकर्ता को राशि 1,000/– रू. प्रतिदिन की दर से कार्य करने के दिवस के आधार पर मानदेय भत्ता देय होगा एवं उनके मुख्यालय से आदेशित कार्यस्थल की यात्रा हेतु कार/जीप का वास्तविक यात्रा दूरी का भाडा वित्त विभाग की प्रचलित दर से देय होगा। किसी भी आवंटित कार्य की कार्यावधि 2 दिवस से अधिक होने की परिस्थिति में कार्यस्थल क्षेत्र के जिले/पंचायत समिति मुख्यालय पहुँच कर ही कार/जीप किराये पर ली जावें एवं कार्यस्थल क्षेत्र के जिले/पंचायत समिति मुख्यालय पर पहुँचने हेतु ऐसी टूटीयर रेल/डीलक्स बस का वास्तविक किराया देय होगा। यथा सम्भव राज्यहित में मित्तव्ययता की दृष्टि से स्थानीय/समीपस्थ सूचीबद्ध व्यक्ति/संस्थाओं को प्राथमिकता से कार्य आवंटन किया जावें।

2. देय ठहराव भत्ता :–

तृतीय पक्ष जॉचकर्ता को भ्रमण के दौरान सम्भागीय स्तर के जिलों पर राशि 500/– रू. तथा अन्य जिला स्तर/ब्लॉक स्तर पर राशि 400/– रू. प्रतिदिन ठहरने, भोजन व्यवस्था एवं स्थानीय परिवहन सहित (रिल्वे स्टेशन/बस स्टेण्ड से आने जाने) देय होगा। तृतीयपक्ष को यात्रा / ठहराव व मानदेय के पेटे कोई अग्रिम राशि देय नहीं होगी।

3. अन्य व्यय प्रतिपूर्ति राशि :–

तृतीय पक्ष जॉचकर्ता को टंकण/फोटोस्टेट कार्य हेतु 100/– रू. प्रति कार्य देय होगें। विशेष परिस्थिति में जॉच रिपोर्ट/आवंटित कार्य की सम्भावित रिपोर्ट के परिपेक्ष्य में कार्य आवंटन करने वाले कार्यालयाध्यक्ष द्वारा आंकलन कर वास्तविक व्यय का भुगतान किया जा सकेंगा।

4. क्लेम बिल प्रस्तुत करना :–

तृतीय पक्ष जॉचकर्ता उनको देय मानदेय, वाहन किराया, यात्रा/ठहराव भत्ता एवं अन्य व्यय प्रतिपूर्ति हेतु क्लेम जॉच/कार्य हेतु आदेश देने वाले कार्यालय/विभाग को प्रस्तुत करेंगे एवं सम्बन्धित के द्वारा सम्बन्धित योजना के मद से नियमानुसार अधिकतम 7 दिवस में अकाउन्ट पेई चैक/ऑन–लाईन खाते में भुगतान सुनिश्चित करेंगें।

5. तृतीय पक्ष चयनकर्ता को सूचीबद्ध सूची से हटाया जाना :–

- विभाग द्वारा चयनित तृतीय पक्ष जॉचकर्ता को आवश्कयतानुसार कार्य का आवंटन किया जावेंगा आवश्कयता नही होने पर उन्हें कार्य आवंटन करना आवश्यक नहीं है।
- तृतीय पक्ष जॉचकर्ता द्वारा उनको निर्देशित कार्य की अनुपालना संतोषजनक नहीं पाये जाने विभाग द्वारा बिना पक्ष सुने कभी भी चयनित सूची से पृथक किया जा सकता है। विभाग के अलावा जिला स्तरीय अधिकारी उनके कार्य के संतोषप्रद नहीं होने की रिपोर्ट अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण विकास, ग्रुप–5 को प्रेषित करेंगे, जिसका उनके द्वारा परीक्षण कर चयनित सूची से पृथक करने की कार्यवाही की जावेगी।
- विभाग द्वारा चयनित तृतीय पक्ष जॉचकर्ता की सत्यनिष्ठा संदिग्ध होने पर कभी भी चयनित सूची पृथक किया जा सकता है एवं उनके विरूद्ध नियमानुसार विधिक कार्यवाही अमल में लायी जा सकती है।
- सेवानिवृत अधिकारी जिनका तृतीय पक्ष जॉचकर्ता के रूप में चयन किया है, यदि उनके विरूद्ध हुई सेवा अवधि में किसी कार्यवाही में उन्हे दोषी ठहराया गया है तो विभाग की जानकारी में आने पर उन्हे कभी भी चयनित सूची से पृथक किया जा सकता है।

6. **अन्य शर्तें :–**

अन्य शर्तें एवं निर्देश जो भारत सरकार, राज्य सरकार एवं विभाग द्वारा समय–समय पर जारी किये जावेंगे। वे नियमानुसार लागू होंगे। सभी प्रकरणों में शासन सचिव, ग्रामीण विभाग का निर्णय अंतिम एवं सभी पक्षों को मान्य होगा।

राज्य के राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा व निदेशालय, तकनीकी शिक्षा, जोधपुर से सम्बद्ध सरकारी व गैर–सरकारी अभियांत्रिकी महाविद्यालयों की सेवाएं लिये जाने पर उनके विभाग द्वारा जारी दरों पर नियमानुसार भुगतान किया जावे।

सलंग्न–उपरोक्तानुसार।

5/11/15

(राजीव सिंह ठाकुर),
शासन सचिव, ग्रावि

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, सचिव, माननीय मुख्यमंत्री, राजस्थान, जयपुर।
2. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, ग्रा.वि. एवं पं.रा.वि., राजस्थान, जयपुर।
3. निजी सचिव, सचिव, ग्रमीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार।
4. निजी सचिव, माननीय मुख्य सचिव, राजस्थान, जयपुर।
5. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, ग्रावि एवं पंरावि, राज. जयपुर।
6. निजी सचिव, शासन सचिव, ग्रामीण विकास।
7. निजी सचिव, आयुक्त एवं शासन सचिव, पंचायती राज।
8. निजी सचिव, आयुक्त, महात्मा गांधी नरेगा, जयपुर।
9. निजी सचिव, निदेशक, जल ग्रहण विकास एवं भू–संरक्षण विभाग, जयपुर।

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. जिला कलक्टर, समस्त राजस्थान।
2. समस्त परियोजना निदेशक एवं शासन उप सचिव/वित्तीय सलाहकार/अभियंतागण, ग्रा.वि.एवंपं.रावि/ईजीएस जयपुर।
3. डीन (सिविल), राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा।
4. निदेशक, निदेशालय तकनीकी शिक्षा, जोधपुर।
5. समस्त मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, राजस्थान।
6. अति. जिला कार्यक्रम समन्वयक, प्रथम/द्वितीय, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
7. परियोजना निदेशक एवं उप सचिव (मो.एवं मू.) ग्रा.वि. को विभागीय वेब–साईट पर अपलोड कराने हेतु।
8. अधिशाषी अभियंता, ईजीएस/अभि., जिला परिषद समस्त राजस्थान।
9. सम्बन्धित तृतीय पक्ष श्री ....
10. रक्षित पत्रावली।

5/11/15

(के. के. शर्मा)
अधीक्षण अभियन्ता, ग्रावि

D:\Suresh SE RD PC\SURESH PA 2014-15.docx

ग्रामीण विकास योजना के अन्तर्गत कराये गये/प्रगतिरत निर्माण कार्यों के निरीक्षण कर गुणवत्ता जॉच आदि हेतु जारी अभिरूचि की अभिव्यक्ति (एफ 27(41) ग्रावि–5/इ.आ./जीकिएन/क्यू.सी./2014–15 दिनांक 30.06.2015) के क्रम में प्राप्त निविदाओं/प्रस्तावों का संक्षिप्त विवरण :–

क्र.सं.	पार्टी का नाम	अधिकृत प्रतिनिधी का नाम संस्था की स्थिति में	पता	मोबाइल न. /टेलिफोन न.	जिलो की प्राथमिकता
1	2	3	4	5	6
1	श्री गोखलेश दत्त (2)		6 दुर्गा विहार, नियर राम मंदिर नियर एयरपोर्ट, टोंक रोड, जयपुर पिन–302029	94140063612	जयपुर, दौसा, अजमेर, अलवर, टोंक, समस्त जिले
2	श्री अनिल कुमार शुक्ला (7)		एम पी बी –110 आईसीआई बैंक के निकट, महावीर नगर प्रथम कोटा	9672266696	कोटा, बारां, झालावाड
3	अनिल कुमार मोगरा (20)	अनिल कुमार मोगरा	ए–9, सीकर हाउस कॉलोनी, हाजी कालोनी के अन्दर, झोटवाडा रोड, जयपुर	9460287264	जयपुर, अजमेर, दौसा व अन्य
4	ETTL (4)	प्रभीर कुमार	78 इन्द्र प्रस्त कॉलोनी वैशाली नगर जयपुर	7891927777	जयपुर
5	मैंसर्स प्रहलाद ऐंटरप्राइजेज (12)	हरीकिशन उपाध्याय	8/138 एम पी नगर बीकानेर		बीकानेर
6	आरशिया कन्सलटिंग इन्जिनियर्स प्रा. लि. फरिदाबाद (14)	दीपक शर्मा	बी–1033, ग्राउन्ड फ्लोर ग्रीन फाईल्ड कॉलोनी निअर एनएचपीसी चौक, फरिदाबाद	9999627951	जयपुर, जोधपुर, टोंक, पाली
7	टीम इन्फ्रास्ट्रक्चर, जयपुर (15)	निरज लेकर	184/16 सेक्टर 18, प्रतापनगर, जयपुर।	9414051268	सम्पूर्ण राजस्थान
8	राजहंस टेक्नोकेटर्स (16)	राजु सिंह	ऑफिस नम्बर 03, तृतीय तल, अमरदीप कॉम्पेलेक्स, सरदारपुरा बी, जोधपुर	8003589999	जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, राजसमन्द, बीकानेर
9	सेल्फ डवलपमेन्ट इंस्टीट्यूट (19)	समीर गौतम	श्री निकेत, 30, शिवपुरी कालोनी, न्यू सांगानेर रोड, जयपुर	9414446370	समस्त
10	मिलेनियम कन्सलटेन्ट्स एंड टेक्नोक्रेट्स (25)	संजय सामरिया	33, नालन्दा विहार, महारानी फार्म, दुर्गापुरा, जयपुर	9772203324	जयपुर व निकट अन्यथा सम्पूर्ण राजस्थान
11	नवकार ऐसोसीयेटस	सुनील वी पोपली	103–04, जगदीश एनक्लेव, राम मन्दिर के सामने, हवा सडक, 22 गौदाम, जयपुर	0141–2224437	जयपुर, भीलवाडा, जोधपुर अन्यथा सम्पूर्ण राजस्थान
12	महेन्द्र सिंह पाउ (13)	–	न्यू गीता आश्रम कॉलोनी, भास्कर मोहल्ला, जैसलमेर	9928090446	जैसलमेर
13	राजू सिंह (17)	राजू सिंह	हाउस नं. 2/5, सी.एच.बी. जोधपुर–342001	8003589999	जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाडमेर
14	रामप्रकाश विश्नोई (22)	रामप्रकाश विश्नोई	372, लक्ष्मीनगर, पावटा 'बी' रोड, जोधपुर–342006	9414474764	जैसलमेर, जोधपुर, पाली, सिरोही
15	रामकुमार जान्डू (28)	रामकुमार जान्डू	III–ई–47, जे.एन.वी. कॉलोनी, बीकानेर–334001	9414062032	बीकानेर
16	आईडियल डवलपमेंट इन इनवायरमेन्टल एण्ड एग्रीकल्चर, संस्थान (IDEAS), जयपुर	सैकरेटरी जनरल, डॉ. अशोक कुमार सोमानी	177, हीरा नगर, डीसीएम जयपुर 302021	9414071583 0141 2000000	सम्पूर्ण राजस्थान

क्र.सं.	पार्टी का नाम	अधिकृत प्रतिनिधी का नाम संस्था की स्थिति में	पता	मोबाइल न. / टेलिफोन न.	जिलो की प्राथमिकता
1	2	3	4	5	6
17	प्रज्ञान रिसर्च इन्स्टीट्यूट ऑफ डिपलोमा इंजिनियरिंग, बालोतरा	दिलिप गहलोत	16/64, माली समाज भवन के पास गांधीपुरा, बालोतरा जि0 बाडमेर	9414688871 02988000000	जिला बाडमेर
18	नेमोटेक कन्सलटेन्सी सर्विसेज, एलएलपी, जयपुर	आनेन्द्र गुप्ता	113/2 विस्वेसरिया नगर, त्रिवेणी नगर मोड़, गोपालपुरा बाईपास, जयपुर	9214507766 01412761299	सम्पूर्ण राजस्थान
19	महेन्द्र सिंह राजपुरोहित, जोधपुर	महेन्द्र सिंह राजपुरोहित	जी–69, शास्त्रीनगर जोधपुर	9772202228 02912438692	पाली, जोधपुर
20	मदन लाल बिजारनिया, हनुमानगढ़	मदन लाल बिजारनिया	ग्राम पो0 जसना त0 नोहर जि0 हनुमानगढ	9413514419	हनुमानगढ़ (पं.स. नोहर)
21	साजन राम बेनिवाल, हनुमानगढ़	साजन राम बेनियाल	मकान नं014, सैक्टर 12 श्रीगंगानगर रोड़ हनुमानगढ़	9468878705 01552261056	हनुमानगढ
22	चन्द्र शेखर गुप्ता, जोधपुर	चन्द्र शेखर गुप्ता, जोधपुर	ए 6, शास्त्री नगर जोधपुर	9530345972 0291 2620246	सम्पूर्ण राजस्थान
23	सुभाष चन्द सिंघल, भरतपुर	सुभाष चन्द सिंघल	293, राजेन्द्र नगर भरतपुर	9785151535 05644 222952	भरतपुर
24	मै. टीम इन्फ्रास्टक्चर्स	छोटेलाल कमल	184/16, प्रताप नगर आरएचबी, नारायण दयाल अस्पताल के पास जयपुर–302033	9414051268 0141 2651266	काई भी जिला
25	बंशीलाल वर्मा	बंशीलाल वर्मा	ग्राम पो0 मुण्डोती (नारूकन), सेन्ट्रल युनिवर्सिटी के पास त0 किशनगढ, अजमेर	8740898928 9982706981	अजमेर, जयपुर
26	राजस्थान बाल कल्याण समिति, उदयपुर	जी.एस. शर्मा	2, जैन रिशभ भवन बापू बाजार, विजय बैंक के पास, उदयपुर	9414829642 02959 270026	उदयपुर, डूंगरपुर, राजसमंद, चित्तौडगढ, जालौर, जोधपुर, पाली, सिरोही
27	बीएसएनएल सिविल विंग, राजस्थान, जयपुर	चीफ इंजिनियर (सिविल), जयपुर	कार्यालय, चीफ इंजिनियर (सिविल), बीएसएनएल राजस्थान सिविल जोन, द्वितीय मंजिल ,प्रशा.भवन, झालाना डूंगरी साउथ ब्लॉक, जयपुर	9414001786 0141 2710080	सम्पूर्ण राजस्थान
28	जे.पी. टेकनिकल सर्विसेज	महेश शर्मा	452, बेबी नगर सोढाला, जयपुर	9414044173 0141 2291173	सम्पूर्ण राजस्थान